न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज *तहसीलदार झंवर बनाम मीरा वगैरह* *रिव्यू प्रार्थना पत्र* *राजस्व प्रार्थना संख्या : 126/2025*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12-9-25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार झंवर द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 229 के तहत इस न्यायालय के प्रार्थना पत्र संख्या 38/2019 अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पारित आदेश दिनांक 27.12.2024 के विरूद्ध पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर संबंधित पक्षकारानों को नोटिस जारी किया गया। तहसीलदार झंवर द्वारा प्रार्थना पत्र में कथन किया कि ग्राम बोरानाडा के खसरा संख्या 286/3, 286/3 286/5 व खसरा संख्या 441/263 रकबा 2.6871 हैक्टेयर कृषि भूमि का भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अन्तर्गत जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर में दिनांक 14.10.2020 को ऑनलाईन आवेदन क्रमांक LU2012/JOD/2020-21/10040 पर उपायुका (जोन-3) जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा दिनांक 23.07.2024 को उक्त आवेदित का औद्योगिक प्रयोजनार्थ धारा 90-क की आज्ञा जारी की गई। धारा 9०-के आज्ञा दिनांक 23.07.2024 की पालना में खसरा संख्या 288/3 206/5 व खसरा संख्या 441/263 रकबा 2 0871 हैक्टयर की संबंध में राजस्व रिकार्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम अमल दरामद नियमानुसार किया जाना अनिवार्य था परंतु सहवन से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नहीं होने के कारण प्रकरण संख्या 38/2019 में श्रीमान् न्यायालय द्वारा दिनांक 27.12.2024 को स्वीकार कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 90-क हेतु आवेदित भूमि ग्राम बोरानाड़ा के खसरा संख्या 286/3 रकबा 18130 हैक्टेयर में से 15 फुट रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित किये जाने पर उक्त खसरे में 15 फुट रास्ते की भूमि को खसरा संख्या 611/286 रकबा 0.0571 हैक्टेयर किस्म गै.मु रास्ता के रूप में दर्ज किया गया। ग्राम बोरानाड़ा के खसरा संख्या 286/3, 286/5 व खसरा संख्या 441/263 रकबा 2.6871 हैक्टयर भूमि हेतु धारा 90-क की आज्ञा दिनांक 23.07.2024 जारी होने के पश्चात् धारा 251ए का प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता। उक्त भूमि का जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 23.07.2024 द्वारा 90-ए हो जाने से उक्त खसरे में से 15 फुट रास्ता देने के बदले डी.एल.सी की दुगुनी राशी 1299180 रूपये 06.01.2025 द्वारा राजस्व मद संख्या 8443 द्वारा विप्रार्थीगण कुज बिहारी द्वारा प्राप्त नहीं किये जाने से राजकोष में जमा करवाए गये। उक्त राशी को भी वाद संख्या 38/2019 निर्णय दिनांक 27.12.2024 में वर्णित वादीगण को राजकोष से प्रत्याहारित किया जाये। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 229 के अन्तर्गत रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 27.12.2024 अपास्त फरमाया जाये हमने पत्रावली में रैकर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस सुनी गई। तहलसीदार झंवर द्वारा पेश रिव्यू प्रार्थना पत्र में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय दिनांक 27.12.2024 को अपास्त करने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपने कृषि भूमि क रूपान्तकरण हेतु जो.वि.प्राधि. में आवेदन किये जाने पर आदेश दिनांक 23.07.2024 को उक्त आवेदित भूमि का औधौगिक प्रयोजनार्थ धारा 90-क में आदेश जारी किया गया जबकि उक्त खसरान के एक अन्य प्रकरण न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्रकरण धारा 251 का 38/2019 के निर्णय दिनांक 27.12.2024 को स्वीकार किया जाकर 15 फुट रास्ता स्वीकृत किया गया। तहसीलदार झंवर द्वारा ग्राम बोरानाड़ा के खसरा संख्या 286/3, 286/5, 441/263 रकबा 2.6871 हैक्टयर भूमि हेतु धारा 90-क की आज्ञा दिनांक 23.07.2024 जारी होने के पश्चात् धारा 251ए का प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः तहसीलदार झंवर द्वारा पेश रिव्यू प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के प्रार्थना पत्र संख्या 38/2019 अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पारित आदेश दिनांक 27.12.2024 को अपास्त किया जाता है। उक्त खसरान के 15 फुट रास्ते हेतु राजकोश में जमा राशि के संबंध में तहसीलदार झंवर विधिक प्रकिया अपनाते हुए कार्यवाही किया करेंगे। पत्रालवी फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	